

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन में ग्लोबल हाऊसिंग टैक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया (GHTC-India) के अन्तर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति।

निदेशक, सूडा/मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.01.2019 को ग्लोबल हाऊसिंग टैक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया (GHTC-India) लॉन्च की गयी है। GHTC-India के अन्तर्गत एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट चैलेन्ज कराया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में 06 लाइट हाऊस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जायेगा, जो कि नई तकनीक को बढ़ावा देने एवं एक कार्यशाला के रूप में विकसित होगा। उक्त प्रोजेक्ट में निर्माण नई तकनीक से किया जाना प्रस्तावित है, जिसका निर्माण किसी अन्तराष्ट्रीय निर्माण संस्था द्वारा स्थानीय भागीदार के सहयोग से किया जायेगा। उक्त दोनों संस्थाओं एवं प्रोजेक्ट हेतु उपयुक्त तकनीक का चयन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त एजेण्डा बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा बिन्दु सं0 1:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में ग्लोबल हाऊसिंग टैक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया (GHTC-India) के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में ग्लोबल हाऊसिंग टैक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया (GHTC-India) के अन्तर्गत हो रहे लाइट प्रोजेक्ट चैलेन्ज में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रदेश की ओर से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	अभिकरण/विकास क्षेत्र का नाम	जनपद	प्रस्तावित परियोजना का स्थान	भूमि का कुल क्षेत्रफल (है0 में)	सिटी सेन्टर से दूरी
1	नगर निगम लखनऊ	लखनऊ	नादरगंज, अमौसी	2.266	6.0 किमी
2	कानपुर विकास प्राधिकरण	कानपुर	सै0-1ए, जवाहरपुरम	2.20	2.0 किमी
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	गाजियाबाद	ग्राम मसूरी	4.55	11.74 किमी

भारत सरकार द्वारा निर्धारित रू0 1.50 लाख केन्द्रांश के अतिरिक्त कुल लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख एवं लाभार्थी द्वारा रू0 2.00 लाख की धनराशि वहन की जायेगी। अवशेष धनराशि प्रदेश सरकार/कार्यदायी संस्था/लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।

नगर निगम लखनऊ द्वारा 01 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रति आवास कारपेट एरिया 30 वर्ग मी0 का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। चयनित भूमि पर विद्युत एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है एवं पेयजल व सीवरेज सिस्टम की सुविधा भविष्य में उपलब्ध करा दी जायेगी।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 01 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रति आवास कारपेट एरिया 30 वर्ग मी० का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। चयनित भूमि पर विद्युत, पेयजल, सीवरेज एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 01 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रति आवास कारपेट एरिया 30 वर्ग मी० का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। चयनित भूमि पर वर्तमान में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। भविष्य में विद्युत, पेयजल, सीवरेज एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि चयनित भूमि पर 38वीं सीएसएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 1440 भवनों की एक परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा चयन किया जाता है, तो ऐसी दशा में उक्त स्वीकृत परियोजना का अभ्यर्पण करना होगा।

उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इण्डिया (GHTC-India) के अन्तर्गत लाइट हाऊस प्रोजेक्ट में प्रतिभाग करने हेतु नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को एस०एल०एस०एम०सी० द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं० 2:-आई०ई०सी० मद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में व्यय की धनराशि तथा जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ-2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल हाऊस, डिस्ट्रे एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु व्यय धनराशि की भारत सरकार से प्रतिपूर्ति पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आई०ई०सी० मद में वर्ष 2016-17 में कोई धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी, जबकि उक्त मद में वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा कुल रू० 22.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 हेतु एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान एसएलएसएमसी से अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार प्रेषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत आई०ई०सी० मद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु रू० 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष सूडा द्वारा वर्ष 2017-18 में आई०ई०सी० मद में कुल रू० 90.34 लाख की धनराशि व्यय की गयी, जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2017-18 हेतु अवशेष रू० 45.34 लाख की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।

आई०ई०सी० मद में वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जबकि सूडा द्वारा उक्त मद में अब तक रू० 60.76 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस प्रकार एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान में प्राविधानित वर्ष 2018-19 हेतु रू० 90.00 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जानी है।

इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ-2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मॉडल हाऊस, डिस्ट्रे एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आई०ई०सी० मद में रू० 39.88 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आई0ई0सी0 मद में वर्ष 2016-17 में रू0 22.28 लाख, 2017-18 में व्यय की गयी रू0 90.34 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति एवं 2018-19 हेतु रू0 90.00 लाख के साथ महाकुम्भ-2019 में विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मॉडल हाऊस, डिस्प्ले एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु व्यय की गयी रू0 39.88 लाख कुल 242.50 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, (अध्यक्ष, एस0एल0एस0एम0सी0) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 3:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग मद में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 7,99,598 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 1,28,093 आवास कुल 9,27,691 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम किशत की धनराशि ही अवमुक्त की गयी है तथा द्वितीय किशत की धनराशि से पूर्व टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट भारत सरकार प्रेषित की जानी है। टी0पी0क्यू0एम0 हेतु 03 एजेन्सियों का चयन किया गया है, चयनित टी0पी0क्यू0एम0 एजेन्सियों द्वारा 31वीं सीएसएमसी तक स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक कुल 801 परियोजनाओं की जांच कर टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। भारत सरकार द्वारा अभी तक टी0पी0क्यू0एम0 मद में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। टी0पी0क्यू0एम0 मद में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जानी है।

उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में टी0पी0क्यू0एम0 मद में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, (अध्यक्ष, एस0एल0एस0एम0सी0) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 4:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 27 एवं 28 जुलाई, 2018 को मा0 प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यय की गयी धनराशि भारत सरकार से प्रतिपूर्ति करने पर विचार।

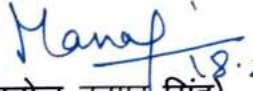
अवगत कराया गया कि दिनांक 27 एवं 28 जुलाई, 2018 को मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की तृतीय वर्षगांठ के उपलब्ध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें टैक्सी, होटल एवं प्रतीत चिन्ह दिये जाने हेतु सूडा द्वारा कुल रू0 4.568 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम हेतु इवेंट मैनेजमेन्ट का कार्य सी0आई0आई0 द्वारा किया गया, जिसमें कुल रू0 740.00 लाख का व्यय किया गया, जिसमें अन्य विभागों द्वारा भी योगदान दिया गया था। इस प्रकार सी0आई0आई0 को भुगतान की जाने वाली धनराशि रू0 740.00 लाख एवं सूडा द्वारा व्यय की गयी रू0 4.568 लाख कुल रू0 744.568 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जानी है।

उपरोक्तानुसार मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की तृतीय वर्षगांठ के उपलब्ध में आयोजित कार्यक्रम में व्यय कुल धनराशि रू0 744.568 लाख भारत सरकार से प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, (अध्यक्ष, एस0एल0एस0एम0सी0) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 5:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में प्रशासनिक मद के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में अब तक किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से किये जाने पर विचार।

- अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 75 जनपदों की 652 नगर निकायों में लागू है। 652 नगर निकायों में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 7,99,598 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिसके नियमित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए प्रशासनिक मद में व्यय किया जा रहा है। प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक अद्यतन रू0 326.32 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसमें केन्द्रांश (75 प्रतिशत) रू0 244.74 लाख की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में प्रशासनिक मद में व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही प्रदेश के लिए निर्धारित रू0 90.00 लाख की धनराशि को बढ़ाकर रू0 300.00 लाख किये जाने की अनुशंसा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, (अध्यक्ष, एस0एल0एस0एम0सी0) द्वारा की गई।


(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संख्या:- 19 / 69-1-2019-14(235) / 2015
लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2019

कार्यालय-आदेश

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।